FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगदीश वगै0 बनाम गोकुलचन्द वगै0

किस्म मुकदमा – इजराय मुकदमा नम्बर– 9 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23.01.2023	वकील डिकीदार श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
18.07.2024	वकील डिकीदार के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की जाने पर आज पेश हुई। वकील डिकीदार ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नहीं की गई है एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पुनः डिकी की पालना हेतु आदेश लाने हेतु आदेश दिये है। जिसके कारण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पुनः इजराय आदेश भिजवाये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वकील डिकीदार को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] जाता है तथा न्यायालय द्वारा पारित [illegible] में पुनः तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] पत्रावली दिनांक 20.09.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	3403/रीडर 19-7-24

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:14 IST
Reason: SelfAttested

511
दिनांक 16.8.23